न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या —158/2010 (अपील)

GCMS No.- 2010/00004

मण्डल वन अधिकरी, वन विभाग कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. वन बन्दोबस्त अधिकारी, वन विभाग किशोरपुरा कोटा
2. पुश्पेन्द्र सिंह कटेला सहायक व संरक्षक कार्यालय मण्डल वन अधिकारी भरतपुर
3. स्टेट ऑफ राज0 जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील विरूद्व वन बन्दोबस्त अधिकारी वन विभाग कोटा के आदेश दिनांक 28.12.2006 मिसल नं0 55/1993

उपस्थितः—

1. श्री संजय कुमार नागर, प्रभारी अधिकारी क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—.19.02.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि रक्षित वन खण्ड लखावा के लखावा तहसील लाडपुरा कोटा स्थित कुल किता—10 की 6.73 हे0 भूमि को अपने आदेश दिनांक 28.12.2006 से उक्त उक्त भूमि को वन विभाग के खाते से अलग कर देने का आदेश प्रदान कर दिया ।

2. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील प्रभारी अधिकारी क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा कोटा द्वारा दिनांक 25.10.2010 को लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि वन बन्दोबस्त अधिकारी कोटा द्वारा वन खण्ड लखावा के ग्राम लखावा की आराजी किता—10 की रकबा 6.73 हे0 भूमि को अपने आदेश दिनांक 28.12.2006 से वन विभाग के खाते से अलग कर देने का उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर प्रदान किया है । जो निरस्तनीय है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई, रेस्पो0 वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पूर्व में दिनांक 13.8.2012 को लिमिटेशन की धारा 5 का जवाब एवं अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है । तत्पश्चात रेस्पो0 अनुपस्थित है । अपीलांट एवं प्रभारी अधिकारी उपस्थित । अपीलांट की बहस सुनी ।

4. अपीलांट प्रभारी अधिकारी क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वन बन्दोबस्त अधिकारी वन विभाग कोटा द्वारा मि0नं0 55/1993 मे दिनांक 28.12.2006 को आदेश पारित किया गया जिसमें वन भूमि का कुछ रकबा वन सीमा से प्रथम करने की अनुशंषा की गई, क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा को उक्त आदेश की अपील करनी थी कि वन बन्दोबस्त अधिकारी कोटा ने जो निर्णय दिया है वह गलत है । उक्त आदेश की अपील के लिए राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क करने पर राजकीय अभिभाषक द्वारा बताया गया कि अपील करने का समय निकल चुका था जिसकी अपील अपील करने से राजकीय अभिभाषक द्वारा मना कर दिया गया परन्तु मण्डल वन अधिकारी वन विभाग कोटा द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी वन विभाग कोटा, सहायक वन संरक्षक कोटा एवं तहसीलदार लाडपुरा कोटा के विरूद्व दिनांक 25.10.2010 को यह अपील प्रस्तुत कर दी गई । प्रारम्भिक विज्ञप्ति में प्रकाशित खसरा नम्बरों के नवीन खसरा नं0 198/0.40 हे0 जिसके साबिक खसरा न0 248, नवीन खसरा

जिला कलेक्टर
कोटा

नं0 442/0.31 हे0 जिसके साबिक खसरा नं0 221, 248, नवीन खसरा नं0 444/0.19 हे0 जिसके साबिक खसरा नं0 248, नवीन खसरा नं0 454/0.06 हे0 जिसके साबिक खसरा नं0 248, नवीन खसरा नं0 455/0.05 हे0 जिसके खसरा नं0 248, नवीन खसरा नं0 456/0.06 हे0, जिसके साबिक खसरा नं0 248,नवीन खसरा नं0 458/2.52 हे0 जिसके साबिक खसरा नं0 242, 247, 248, 243 पर मौके पर आबादी बसी हुई है एवं रिकार्ड अनुसार गैर मुमकिन आबादी है एवं नवीन खसरा नं0 109 /25.95 हे0 जिसके साबिक खसर नं0 75 व नवीन खसरा नं0 110 रकबा 10.70 हे0 जिसके साबिक खसरा नं0 74, 75, 76 में से कुछ रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग पी.डब्ल्यू.डी के खाते दर्ज है । उनवान खसरा नम्बर लखावा की प्रारम्भिक विज्ञप्ति दिनांक 6.6.1985 के अनुसार एवं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार प्रारम्भिक विज्ञप्ति के भाग है ।

5. रेस्पो0 वन बन्दोबस्त अधिकारी कोटा द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया है कि यह अपील बिना उचित कारण लगभग 4 वर्ष देरी से प्रस्तुत की गई । अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 28.12.2006 की प्रति एक सप्ताह के अन्दर दिनांक 3.1.2007 को प्राप्त होकर ज्ञात हो गयी थी, अपीलार्थी वन मण्डल अधिकारी कोटा से सम्पर्क में होकर वन मण्डल कार्यालय के आमद रजिस्टर कमांक 93 दिनांक 7.01.2007 दर्ज की गई थी । उक्त निर्णय की प्राप्त प्रति ही अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत की गई जो पत्रावली में संलग्न है । अपीलार्थी मण्डल वन अधिकारी कोटा भारतीय वन सेवा स्तर के अधिकारी है और न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 28.12.2006 की जानकारी दिनांक 02.01.2007 को एक सप्ताह के अन्दर ज्ञात हो जाने तथा बिना किसी उचित कारण के प्रस्तुत अपील की लगभग 4 वर्ष देरी से प्रस्तुत की है कानून की दृष्टि से उक्त अवधि कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है । अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें । चूंकि वन बन्दोबस्त अधिकारी कोटा द्वारा वन खण्ड लखावा "बी" के पारित निर्णय दिनांक 28.12.2006 द्वारा ग्राम लखावा के खसरा नं0 109/0.18 हे0 एवं 110/0.18 हे0 में राष्ट्रीय राजमार्ग निकल जाने एवं सार्वजनिक निमार्णय विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से एवं खसरा नं0 198, 442, 444, 454, 455, 456, 458 की भूमि पर मौके पर आबादी बसी होने एवं राजस्व रिकार्ड में गे.मु. आबादी के रूप में दर्ज हो से तथा अपीलान्ट के विभागीय पेरोकार की सहमति से वन खण्ड लखावा "बी" की सीमा से पृथक किया गया है । इसी प्रकार ख0नं0 410 रकबा 2.78 हे0 नगर विकास न्यास कोटा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने और अपीलान्ट द्वारा नगर विकास न्यास के खाते से आराजी खसरा नं0 410 रकबा 2.78 हे0 को निरस्त करवाने की कार्यवाही विचाराधीन नहीं होना पाये जाने से न्यायालय वन बन्दोबस्त अधकारी द्वारा वन खण्ड से पृथक किया गया है । उपरोक्त आराजीयात की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के खाते में दर्ज नहीं होकर सा0नि0 विभाग के (ख.नं.109,110,) गे.मु. आबादी (ख.नं. 198, 442, 444, 454, 455, 456, 458 की आराजी) तथा नगर विकास न्यास के (ख0नं0 410 के आराजी) खाते दर्ज है । इस प्रकार निर्णय दिनांक 28.12.2006 से उपरोक्त खसरा नम्बरान की कुल भूमि किता 10 रकबा 6.73 हे0 वन विभाग के खाते से अलग नहीं कर वन खण्ड से पृथक करने का निर्णय अपीलान्ट के पेरोकार की सहमति दिया गया जो विधि अनुरूप होने से अपील खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में मौजूद रेस्पो0 के जवाब का अवलोकन किया । यह अपील वन बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 28.10.2006 से वनखण्ड की भूमि किता–10 रकबा 6.73 हे0 वन खण्ड से पृथक करने के कारण अपीलांट द्वारा दिनांक 25.10.2010 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो लगभग 4 वर्ष बाद पेश की है, विलम्ब के लिए अपीलांट द्वारा कारण बताया है कि वन बन्दोबस्त अधिकारी कोटा ने प्रार्थी अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया इस हेतु इस निर्णय की जानकारी नहीं थी, पटवारी हल्का से उक्त निर्णय की जानकारी होने पर अपील पेश करना बताया है । किन्तु प्रथम जानकारी कब हुई यह नही बताया है, इसके विपरीत रेस्पो0 नं0 1 द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया है कि वन मण्डल कार्यालय के आमद रजिस्टर कमांक 93 दिनांक 3.01.2007 दर्ज की गई थी । उक्त निर्णय की प्राप्त प्रति ही अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत की गई जो पत्रावली में संलग्न है । अपीलांट द्वारा विलम्ब को कन्डोन का जो कारण बताया गया है उचित नहीं है चूंकि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 3.1.2007 को ही थी, फिर भी बिना कारण के 4 वर्ष बाद अपील पेश की है जो मियाद बाहर है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

7. परिणामतः पत्रावली में उपलब्ध तथ्यानुसार वन बन्दोबस्त अधिकारी वन विभाग कोटा द्वारा वन विभाग के खाते की भूमि पृथक नहीं की है अपितु अपीलाधीन आदेश से जो भूमि वन खण्ड से पृथक की है वह वन विभाग के खाते में दर्ज नहीं होकर सा0नि0 विभाग के (ख.नं. 109,110,) गे.मु. आबादी (ख.नं. 198, 442, 444, 454, 455, 456, 458 की आराजी) तथा नगर विकास न्यास के (ख0नं0 410 के आराजी) खाते दर्ज थी, तथा अपीलांट के पेरोकार की सहमति से ही वनखण्ड लखावा की आराजी किता–10 रकबा 6.73 हे0 पृथक करने का आदेश पारित किया है । अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

8. निर्णय आज दिनांक 19.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डा. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा